

प्रेषक,

श्रवण कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1— निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज

2— कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-७

लखनऊ: दिनांक: ० / जून, २०२१

विषय:- निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्ववित्तपोषित बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-२२३ / सत्तर-७-२०२०-बी०एड०(१६) / २०११ दिनांक २४ जून, २०२० द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी०एड० पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र २०२०-२१, २०२१-२२ एवं २०२२-२३ के लिये प्रथम वर्ष हेतु रु० ५१,२५०/- तथा द्वितीय वर्ष के लिए रु० ३०,०००/- पाठ्यक्रम शुल्क निर्धारित किया गया है।

२— एन०सी०टी०ई० नियमावली, २००२ के प्रस्तर-‘६’(३) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियन्त) अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत निर्मित उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियन्त) (समिति का गठन) नियमावली, २००८ अधिसूचना संख्या-१५६१ / सोलह-१-२००८-५(डब्ल्यू-४८) / २००३ दिनांक ०१.०५.२००८ द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-१ के कार्यालय आदेश संख्या-२४६३ / २००८-सोलह-४-५ (डब्ल्यू-४८) / २००३ दिनांक २७ जून, २००८ द्वारा निजी क्षेत्र के बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण के लिए गठित समिति की बैठक दिनांक १०-०२-२०२१ को अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचार किया गया कि कोविड-१९ महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में जनसामान्य की आय में कमी आई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० के उददेश्य ‘सभी के लिए शिक्षा’ के परिप्रेक्ष्य में छात्र-शिक्षक अनुपात उचित बनाये रखने हेतु अधिक संख्या में बी०एड० प्रशिक्षण शिक्षकों की आवश्यकता होगी। साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० में पिछड़े/दलित/वंचित/गरीब वर्ग के अभ्यर्थियों को भी व्यवसायिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किये जाने पर जोर दिया गया है।

३— उक्त के दृष्टिगत जनहित में निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्ववित्तपोषित बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क को कम किये जाने का निर्णय लिया गया है। बी०एड० पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रों को स्टेशनरी, यूनिफार्म आदि की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रथम वर्ष में द्वितीय वर्ष की तुलना में अधिक शुल्क निर्धारित किया गया है।

४— सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्ववित्तपोषित बी०एड० द्विवर्षीय पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ के प्रथम वर्ष हेतु शुल्क रु० ४५,०००/- तथा द्वितीय वर्ष के लिए शुल्क रु० २५,०००/- रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

- 2 -

इसके साथ ही एकीकृत 04 वर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष हेतु शुल्क रु0 30,000/- रखे जाने का भी निर्णय लिया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 24 जून, 2020 को इरा रीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,


/
(श्रवण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तारीफ़:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- अपर राज्य, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को बैवसाइट पर प्रदर्शन हेतु एवं सभी सम्बन्धितों को ई-मेल के द्वारा प्रेषित करने हेतु।
- 7- समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,


(कैलाश नाथ राम)
अनुसचिव।

४१